

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर।

पत्रांक:- 1557 / 12-1 गोपेश्वर, दिनांक 7/10/2018

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, भूमि सर्वेक्षण निदेशालय,
इन्दिरानगर फारेस्ट कालोनी,
देहरादून।

द्वारा:- निदेशक/वन संरक्षक, नन्दादेवी बायोस्फियर रिजर्व गोपेश्वर।

विषय:- प्रस्ताव संख्या FP/UK/ROAD/12951/2015 गौचर सिदोली -धनपुर मोटर मार्ग के विस्तार के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय के क्रम में अवगत करना है कि प्रश्नगत मोटर मार्ग में चाही गई सूचना निम्नानुसार प्रेषित की जा रही है:-

क्र० स०	प्रश्न	उत्तर
1	In DSS analysis. It is found that CA area marked as 8.715 ha comes to 4.829 ha instead. Therefore, as per the software conclusions, the area is far shorter than the required area.	वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव का कुल क्षेत्रफल 2.230 है० है। जिसके अनुसार क्षतिग्रस्त वृक्षारोपण हेतु 4.460 है० क्षेत्रफल भूमि ली गई है। पूर्व में चयनित क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु 4.460 है० भूमि में 2.00 है० भूमि में सघन वन होने के कारण 2.00 है० अतिरिक्त भूमि ग्राम बैला सेरा से ली गई है। क्षतिपूरक हेतु 2 स्थल चयनित किये गये है। दोनों KML मैप सही है।
2	Hard copy of the proposal has still not been submitted by the state govt.	प्रस्ताव की मूल कापी अधिशासी अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि० गौचर के पत्रांक 463/1 सी वन दिनांक 12-03-2018 द्वारा अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, भूमि सर्वेक्षण निदेशालय, इन्दिरानगर फारेस्ट कालोनी, देहरादून को प्रेषित की गयी है। छायाप्रति संलग्न
3	Employment details seems incorrect.	Employment details part I के निर्धारित कालम में संशोधित कर अपलोड किया गया है।

सुलभ संदर्भ हेतु अधिशासी अभियन्ता, अस्थाई खण्ड लो०नि०वि० गौचर के पत्रांक 1504/1 सी (वन) दिनांक 26-09-2018 की छायाप्रति संलग्न की जा रही है।

अतः अनुरोध है कि विषयकित प्रकरण में अग्रत्तर कार्यवाही करने की कृपा करें।
संलग्न:- यथोपरि।

भुवदीय,
प्रभागीय वनाधिकारी,
केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लोक निर्माण विभाग, गौचर (चमोली)।

Phone/Fax No. :- 01363-240614

Email:- eepwdgauchar@rediffmail.com

पत्रांक-1504 / 1 सी0 (वन)

दिनांक 26/9 /2018

लगा में

उपवन संरक्षक
कंदारनाथ वन्यजीव प्रभाग
गोपेश्वर।

विषय-

प्रस्ताव सं0 FP/UK/ROAD/12951/2015 गोचर-सिदोली-धनपुर मोटर मार्ग के विस्तार पर भारत सरकार द्वारा लगाई गई आपत्तियों के निराकरण के सम्बन्ध में।

संदर्भ-

आपका आनलाइन ई0डी0एस0 दिनांक 13.9.2018, इस कार्यालय का पत्रांक सं0 483/1सी0 वन दिनांक 12.3.2018 एवं 611/1सी0 वन दिनांक 04.4.2018

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित आनलाइन ई0डी0एस0 दिनांक 13.9.2018 के क्रम में अवगत कराना है कि गोचर-सिदोली-धनपुर मोटर मार्ग के विस्तार पर भारत सरकार द्वारा लगायी गयी आपत्तियों का निराकरण विन्दुवार कर आख्या निम्नलिखित है-

क्र0सं0	प्रश्न	उत्तर
1	In DSS analysis, it is found that CA area marked as 8.715 ha comes to 4.829 ha instead. Therefore, as per the software conclusions, the area is far shorter than the required area.	वन भूमि प्रस्ताव का क्षेत्र कुल 2.230 हे0 है। जिसके अनुसार क्षतिपूरक वृक्षारोपड़ हेतु 4.460 हे0 क्षेत्रफल में भूमि ली गयी है। पूर्व चयनित क्षतिपूरक वृक्षारोपड़ हेतु 4.460 हे0 भूमि (झिरकोटी लगगा सिन्द्रवाणी) में 2.00 भूमि में सघन वन होने के कारण 2.00 हे. अतिरिक्त भूमि ग्राम बौला सेरा में ली गयी है। सी.ए. हेतु 2 स्थल प्रस्तावित किये गये हैं। अतः उपरोक्तानुसार दोनो KML में सही है।
2	Hard copy of the proposal has still not been submitted by the state Government.	प्रस्ताव की मूल कॉपी इस कार्यालय के पत्रांक सं0 483/1सी0 वन दिनांक 12.3.2018 द्वारा अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कॉलोनी देहरादून को प्रेषित की जा चुकी है।
3	Employemnt details seems incorrect.	सलगन संदर्भित पत्र एवं पत्र प्राप्ति की छायाप्रति। Employemnt details Part I में संशोधित कर दिया गया है।

सलगन- 1- पत्रांक सं0 483/1सी0 दिनांक 12.3.2018 एवं पत्र प्राप्ति की छायाप्रति।

भवदीय

(इं0 राजेश चन्द्र)

अधिशासी अभियन्ता

26-9-2018

पत्रांक

/1सी0 (वन)

तददिनांक

प्रतिलिपि :- अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण इन्दिरानगर फॉरेस्ट कॉलोनी उत्तराखण्ड देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड, लो0नि0वि0
गौचर (चमोली)



कार्यालय अधिशासी अभियंता
अस्थाई खण्ड लोक निर्माण विभाग, गोंधर (बगौली)

Phone/Fax No. :- 01363-240614

Email:- eepwdgouchar@rediffmail.com

फाइल नं. 483 / 1 सी० (अ)

दिनांक 12/03/2018

उपर प्रस्ताव नं. 1000 के एक नोडल अधिकारी
उपस्थित कर एडिटर को निर्देशित किया गया है।
प्रस्ताव नं. 1000 के लिए एडिटर को निर्देशित किया गया है।
उपरोक्त प्रस्ताव के निर्देशों के अनुसार कार्य करने के लिए निर्देशित किया गया है।

उपरोक्त विषय के क्रम में अवगत कराया है कि गोंधर-सिदोली-बनपुर गौधर मार्ग के विस्तार पर स्थायी गंगा
आपत्तियों का निराकरण दिनांक 12/03/2018 को किया गया है।

क्र.सं.	प्रश्न	उत्तर
1	In response to point No 4 of previous EDS dated 6-12-2017 related to tree enumeration, it is found that the number of tree now uploaded online at SI No 4, part II is 116. While in the hard copy submitted, the number of trees affected is 23. Hence there is discrepancy.	part II में संशोधन उपरोक्त प्रस्ताव के अनुसार कर लिया गया है।
2	In response to SI NO. 5 of this office EDS dated 05-12-2017 related to submission of original hard copy of document. The state Govt has mentioned that it was already sent earlier vide letter dated 5-9-2016, which is not correct. It is to inform that a photocopy of the whole proposal was submitted vide letter dt-5-9-2016 while as per the guidelines dt-11-11-17 by the MOLE original copy of the proposal of all the essential documents and/or attested copy of all other documents are required to be submitted.	प्रस्ताव को मूल कॉपी संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। संलग्न: प्रस्ताव की मूल प्रति।
3	In the component break-up uploaded a para 2.4, part I online, it is seen that road component is not shown, therefore, necessary corrections may be made.	Road component में Location का अन्वय दिशा दिया गया है।
4	In response to EDS point NO 4, it is observed that the patches of CA are not marked on survey of India toposheet map uploaded in part II.	part II में संशोधन उपरोक्त प्रस्ताव के अनुसार कर लिया गया है।
5	upon DSS analysis, it is found that CA area marked as 8.715 ha comes to 4.838 ha instead. Therefore, as per the software conclusions, the area is far shorter than the required area. It is, therefore, requested to submit correct KML file of CA having area of 8.715 ha.	वन भूमि प्रस्ताव का भी मूल 2.200 है। जिससे अनुमान अतिपूरक प्रस्ताव है। 4.400 है। अतः वन भूमि में भी 2.00 है। अतः वन भूमि के कारण 2.00 है अतिपूरक प्रस्ताव किया गया है। अतः उपरोक्तानुसार बोनो KML में संशोधन प्रस्ताव को मूल कॉपी संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।
6	Hard copy of the proposal has not been submitted so far.	

प्रस्ताव की मूल कॉपी नं. 483/1 सी० (अ)
प्रस्ताव की 2 प्रतियां प्राप्त किया

अधिशासी अभियंता
अस्थाई खण्ड लोक निर्माण विभाग
गोंधर (बगौली)
दिनांक 12/03/2018